समयबद्ध / अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 55 / नि0हो0 / स्थानान्तरण–628 / 2026–27 **दिनांकः 27 अप्रैल, 2026**

विषयः **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूचना अपलोड किये जाने तथा विकल्प उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि स्थानान्तरण सत्र 2026–27 के लिए विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) / 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' में निहित प्राविधानों के अनुसार होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु जनपदों से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर पात्रता सूची एवं रिक्तियों का विवरण विभाग की वैबसाइट https://ukhd.uk.gov.in पर अपलोड करते हुये निम्नवत निर्देश दिये जाते है–

1– स्थानान्तरण अधिनियम की **धारा–7(घ)** में निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट है–

(एक) वरिष्ठ कार्मिक।
(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त / विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
(चार) ऐसे पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र / पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हों।
(पांच) सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी।

2– स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार सर्वप्रथम शुद्ध रूप से रिक्त स्थानों में कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। अतः वैबसाइट पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित रिक्तियों का ही विकल्प सर्वप्रथम स्थानान्तरण हेतु दिया जाये तत्पश्चात सम्भावित रिक्तियों के विकल्प दिये जाये। सम्भावित रिक्तियों में तैनात कार्मिकों का स्थानान्तरण बिन्दु संख्या–1 में उल्लेखित कारणों अथवा अन्य कारण से न होने की स्थिति में स्थानान्तरण हेतु शुद्ध रिक्ति से इतर दिये गये विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

3– स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के विकल्प/अनुरोध प्रार्थना पत्र संलग्न प्रारूप पर दिनांक 15 मई, 2026 तक प्रत्येक दशा में हार्ड कॉपी में (मूल रूप में) पंजीकृत डाक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करा दिये जायें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4– गम्भीर रूप से रोगग्रस्ता की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों को राज्य मेडिकल बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें स्थानान्तरण अधिनियम की धारा के अन्तर्गत रोग के आने (आच्छादित होने) का उल्लेख किया गया हो, के आधार पर ही छूट/स्थानान्तरण का लाभ प्रदान किया जायेगा। मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

5– स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के विकल्प एवं अनुरोध पत्रों को अग्रसारित करने से पूर्व स्थानान्तरण अधिनियम का भलि–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित किया जाये।

6– स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपलोड की जा रही पात्रता सूची एवं रिक्तियों के विवरण के सम्बन्ध में समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अपने माध्यम से समस्त कार्मिकों को सूचित करेंगे। यदि उक्त सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन अपेक्षित हो तो उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय को दिनांक 30.04.2026 तक लिखित रूप में अवगत कराया जाये, तदोपरान्त प्राप्त अनुरोध/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
निदेशक।

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड,

जनपद–.................................

पत्रांक :– दिनांक मई, 2026

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. पदनाम –
4. नियुक्ति तिथि –
5. वर्तमान तैनाती स्थान –
6. वर्तमान तैनाती की तिथि –
7. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण सत्र 2026–27 में स्थानान्तरण चाहते है (कोई विकल्प चुनें)
    1. सुगम से दुर्गम
    2. अनुरोध
    3. दुर्गम से सुगम
    4. सुगम से सुगम (केवल धारा–7(घ)(दो) से आच्छादित कार्मिकों हेतु)
    5. स्थानान्तरण से छूट (केवल धारा–7(घ) से आच्छादित कार्मिकों हेतु)
    6. स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)
8. स्थानान्तरण से छूट चाहने का कारण (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं)
    1. वरिष्ठ कार्मिक (धारा–7(घ)(एक))
    2. दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण (धारा–7(घ)(दो))
    3. गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक (धारा–7(घ)(तीन))
    4. पुत्र/पुत्री की विकलांगता (धारा–7(घ)(चार))
    5. सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी (धारा–7(घ)(पांच))
9. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं)
    1. सुगम से दुर्गम (धारा–13(1))
    2. दुर्गम से दुर्गम (धारा–13(2))
    3. उत्तराखण्ड सरकार में कार्यरत पति–पत्नी (धारा–13(3))

क्रमशः 2 पर

निदेशक

4. गम्भीर रोगग्रस्तता / विकलांगता (धारा–13(4))
5. मानसिक रूप से विक्षिप्त, पूर्णतः लाचार बच्चों के माता–पिता (धारा–13(5))
6. विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता / तलाकशुदा एवं वरिष्ठ कार्मिक (धारा–13(6))

10. स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु स्थानान्तरण के लिए इच्छित स्थानों का विकल्प

क्र0सं0	कार्यालय / चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम / दुर्गम)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या–

हस्ताक्षर–

नाम–

पदनाम–

निदेशक
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं
उत्तराखण्ड, देहरादून